निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—27 / 2021
दायरा दिनांक :— 19.04.2021
निर्णय दिनांक :— 30.06.2023

उनवान

सत्यनारायण पुत्र श्री भंवरलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम कोयला तहसील बारां जिला बारां,

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां तहसील बारां जिला बारां राज0 —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 111 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 30.06.2023

अभिभाषक उपस्थितः— 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0— वादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एल0 आर0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम कोयला तहसील बारां के हाल खाता सं0 992 के खसरा नं0 2714 / 3608 क्षेत्रफल 0.64 हे0 आराजी का प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी की उक्त आराजी की सीमा से लगी आराजी खसरा नं0 2720 / 3608 क्षेत्रफल 0.41 हे0 पड़ौसी काश्तकार रामगोपाल पुत्र श्री प्रभुलाल माली के खाते की खसरा नं0 1446 क्षेत्रफल 0.54 हे0 पड़ौसी काश्तकार रामगोपाल पुत्र प्रभुलाल माली एवं कान्तिबाई पत्नी श्री रामगोपाल माली एवं खसरा नं0 2715 क्षेत्रफल 0.16 हे0 पड़ौसी काश्तकार ओमप्रकाश पुत्र बिशनलाल माली, प्रेमबाई पुत्री बिशनलाल माली, छोटीबाई पुत्री प्रभुलाल, रतनलाल, रामगोपाल पुत्र श्री प्रभूलाल माली के संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। प्रार्थी की आराजी की सीमा से लगे काश्तकार एक ही परिवार एवं कुटुम्ब के है। जिनकी आराजी प्रार्थी की आराजी की सीमा के दक्षिण व पश्चिम में स्थित है। पड़ौसी काश्तकारों ने प्रार्थी की आराजी की दक्षिणी पश्चिमी मेड़ को तोड़कर प्रार्थी की आराजी के सीमाचिन्हों को नष्ट कर प्रार्थी की आराजी की सीमा में जबरन घुस आये है। उक्त पड़ौसी काश्तकार झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है, और प्रार्थी को उसकी आराजी पर काश्त करने में बाधा एवं व्यवधान करते चले आ रहे है। इस कारण मौके पर सीमा विवाद उत्पन्न हो जाने से प्रार्थी अपनी आराजी का सीमांकन करवाकर आराजी की सीमा के चारों ओर पत्थर की पट्टिया गड़वाकर एवं मेड़ बंधी करवाकर सीमांकन के विवाद का समाधान चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:55:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता 992, नकल नक्शा ट्रेस, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कोयला खसरा नं0 2715, नकल नक्शा ट्रेस खसरा नं0 1446, नकल नक्शा ट्रेस खसरा नं0 2714, नकल नक्शा ट्रेस खसरा नं0 2720/3608 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोयला में स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की उक्त आराजी सीमा से लगी हुई है, उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदार रामगोपाल पुत्र प्रभुलाल माली, कान्तिबाई पत्नी श्री रामगोपाल माली, ओमप्रकाश पुत्र बिशनलाल माली, छोटीबाई पुत्री प्रभुलाल, रतनलाल पुत्र श्री प्रभूलाल पड़ौसी खातेदार है। प्रार्थी की आराजी की सीमा से लगे काश्तकार एक ही परिवार के सदस्य है पड़ौसी खातेदारों में प्रार्थी की आराजी की दक्षिण–पश्चिम मेड़ को तोड़कर प्रार्थी की आराजी के सीमाचिन्हों को नष्ट कर प्रार्थी की आराजी की सीमा में जबरन घुस आये है। और प्रार्थी को उसकी आराजी पर काश्त करने में बाधा एवं व्यवधान करते चले आ रहे है। प्रार्थी सीमांकन करवाकर आराजी की सीमा के चारों ओर पत्थर की मुड्डिया गड़वाकर समाधान चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवाई जावे।

बहस अभिभाषक सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता 992 सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति पासवान दर्ज रिकार्ड है प्रस्तुत नकल नकल नक्शा ट्रेस खसरा नं0 2714/3608 ग्राम कोयला की भूमि का पेश किया है। इसे प्रार्थी सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवाना चाहता है। विवादित भूमि से संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा अपनरी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कोयला की आराजी खसरा नं0 2714/3608 क्षेत्रफल 0.64 हे0 सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। न्यायालय से निर्णय होने पर टीम गठन कर आराजी का सीमा ज्ञान करवाया जा सकता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 111 एल0 आर0 एक्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट तथा मुताबिक रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी प्रार्थी के खाते में दर्ज है। प्रार्थी अपनी आराजी की पैमाईश करवाकर पत्थर गढी करवा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कोयला तहसील बारां के खसरा नं0 2714/3608 क्षेत्रफल 0.64 हे0 भूमि की टीम गठित कर सीमा ज्ञान व पत्थर गढी करवाने हेतु तहसील[illegible] को आदेशित किया जाता है। निर्णय लिखाया जा कर [illegible] गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:55:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner